P.K 123
23-07-21

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

19/3/2

विविध अपील वाद संख्या– 25/2006–07

शिव प्रसाद चौबे वगैरह

बनाम

फुरती देवी

आदेश

यह वाद आवेदक शिव प्रसाद चौबे एवं अन्य ग्राम–दिपवां थाना–गढ़वा जिला–गढ़वा की ओर से विशेष पदाधिकारी नगरपालिका गढ़वा द्वारा भवन निर्माण वाद संख्या 35/2005 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है ।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन वो विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख का अवेलोकन किया ।

अपीलार्थी के अपील आवेदन में वर्णित तथ्य एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के अनुसार वाद का विषय वस्तु ग्राम दिपवा थाना–गढ़वा के खाता संख्या 32 प्लौट संख्या 116 रकबा 12 1/2 डी0 भूमि पर मकान बनाने हेतु विपक्षी फुरती देवी के पक्ष में विशेष पदाधिकारी नगरपालिका गढ़वा द्वारा नक्शा स्वीकृत करने से संबंधित है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से अपील आवेदन दायर किया गया है । अपीलार्थी का कथन है कि गलत चौहदी देकर विपक्षी द्वारा नक्शा पास काराया गया है । इसके लिए अपीलार्थी आपत्ति भी दिये थे परन्तु बिना स्थल जॉच किये विशेष पदाधिकारी नगरपालिका गढ़वा द्वारा भवन निर्माण वाद संख्या 35/2005–06 में दिनांक 4.4.2006 को पारित आदेश के तहत नक्शा पास किया गया है जो कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से खारीज योग्य है ।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि अपीलार्थी का अपील आवेदन कानून की दृष्टिकोण से निराधार एवं खारीज योग्य है । प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय गढ़वा में चल रहा था जिसमें विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है । साथ ही तर्क के क्रम में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 436 के उपधारा 3 का संदर्भ करते हुए उनका कहना है कि नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार के पारित आदेश के विरूद्ध bulding Tribunal के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है । इस स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन प्रावधानानुसार नहीं है । तर्क में उनके द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह अपील वाद अपीलार्थीगण की ओर से विशेष पदाधिकारी नगरपालिका गढ़वा द्वारा भवन निर्माण वाद संख्या–35/2005–06 मे दिनांक 4.4.2006 को नक्शा स्वीकृत करने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर संधारित है जो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 436 के उपधारा 3 में निहित प्रावधनों के प्रतिकूल है । चूँकि झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 436 के उपधारा 3 में स्पष्टतः प्रावधान है कि "Any person aggrieved by an order of the Municipal commissioner or the

excutive officer under Sub- Section(1),may within thirty days from the date of the order,prefer an appeal against the order before the Building Tribunal."

इस प्रकारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि इस वाद में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करना मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर होने के साथ–साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है । फलतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

19/3/21

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

19/3/21

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 15:50:16 +05:30
Location: 192.168.31.7